

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

22 / 2021
24.02.2021

आशाराम पुत्र गरसी जाति मीना निवासी चतरपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक राज०

—अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार उनियारा जिला—टोक

—रेस्पोंडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध

निर्णय तहसीलदार उनियारा दिनांक 07.01.2021 मिसल नम्बर 1781 / 2020

उपस्थिति : (1) श्री पवन जैन, अभिभाषक अपीलान्ट

(2) श्री रामप्रसाद कुमावत, नायब तहसीलदार राजकीय पेरोकार

निर्णय

दिनांक 11.07.2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा ने अपने निर्णय दिनांक 07.01.2021 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 282 रकबा 0.33 है० किस्म चाही—जाव—2 वाके ग्राम चतरपुरा तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 335/रु. पेनल्टी कायम कर तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोंडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अपीलांट का उक्त खसरा नम्बर पर कब्जा नही है। पूर्व में बेदखली का कोई निर्णय या उसकी प्रतिलिपि पटवारी के बयानो में प्रदर्शित नही हुई है। अपीलाधीन निर्णय में भी पूर्व में बेदखल करने का उल्लेख नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय साईक्लोस्टाईल फार्म पर खाना—पूर्ति करके पारित किया है। अपीलांट ग्रामीण, अनपढ़, काश्तकार पेशा व्यक्ति है, जिसने जानबूझकर सरकारी भूमि पर कब्जा या अतिक्रमण नही किया है। अतः अपील अपीलांट कर अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।



जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय परोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 282 रकबा 0.33 है० किस्म चाही-जाव-2 वाके ग्राम चतरपुरा तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर सरसो की फसल काशत करने पर तहसीलदार उनियारा द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम कर तीन माह की सिविल कारावास की दजा से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है। अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एवं बयान से सिद्ध है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स एवं राजकीय परोकार की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्ट की और से भाई की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 282 रकबा 0.33 है० किस्म चाही-2 व जाव-2 वाके ग्राम चतरपुरा तहसील उनियारा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर सरसो की फसल काशत कर अतिक्रमण किया है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर सम्वत 2076 मे अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहते है और राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने के आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा का निर्णय दिनांक 07.01.2021 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



चिन्मयी
(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
दोहा